

12.01.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही
आये। यह वादपत्र 2016 से लगातार तलबी स्तर
पर चल आ रहा है। वादी अधिवक्ता को पूर्व मे
कई बार अन्तिम अवसर दिये जा चुके है। वादी
एव वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी
व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



Web Copy - Not Official

Wuqf
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
इनामानगढ